



राजस्थान आवासन मण्डल


भविष्य के बाजार में आप भी बने भागीदार

अजमेर शहर में नीलामी द्वारा बहुउद्देशीय व्यवसायिक परिसर खरीदने का स्वर्णिम अवसर

बहुउद्देशीय व्यवसायिक परिसर का क्षेत्रफल 732.33 वर्ग मी.	निर्मित क्षेत्रफल	आरक्षित लीज राशि प्रतिवर्ष
	तलधर - 800 वर्ग फीट @ 74.349 वर्ग मी.	925299.00
	भूतल - 1319 वर्ग फीट @ 122.583 वर्ग मी. प्रथम तल - 860 वर्ग फीट @ 79.925 वर्ग मी.	(अक्षरे रूपये नौ लाख पच्चीस हजार दो सौ निन्यान्वे मात्र)

नीलामी दिनांक	अमानत राशि	न्यूनतम विक्रय मूल्य
27.06.2012	40.00 (अक्षरे रूपये चालीस लाख मात्र)	4,00,00,000 (अक्षरे रूपये चार करोड़ मात्र)

नीलामी समय	नीलामी स्थल	मुख्य विशेषतायें
दोपहर पूर्व 11.30 बजे से	आवासीय अभियन्ता खण्ड कार्यालय अजमेर	



- वैशाली नगर जैसी प्रतिष्ठित कॉलोनी में
- मुख्य रोड (गौरव पथ पर)
- रेल्वे स्टेशन से दूरी 5.0 किमी.
- बस स्टैण्ड से दूरी 4.0 किमी.
- प्रमुख तीर्थ स्थल पुष्कर राज से मात्र 15 किमी. दूर
- ख्वाजा की नगरी अजमेर में
- बैंक ऑफ बडौदा शाखा वैशाली नगर के लगभग सामने

नियम एवं शर्तें: - 1. सभी बोली दाताओं को धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के रूप में जो कि राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर के पक्ष में देय हो, जमा करवाने के पश्चात् ही नीलामी बोली में शामिल किया जायेगा। 2. नीलामी कम से कम तीन बोली दाताओं की उपस्थिति में ही की जावेगी। अन्यथा नीलामी को निरस्त समझा जायेगा। 3. न्यूनतम बोली ₹ 4,00,00,000.00 अक्षरे चार करोड़ रूपये से प्रारम्भ की जावेगी। 4. नीलामी (व्यवसायिक) परिसर जहां हैं जैसा है के आधार पर की जायेगी। 5. राजस्थान आवासन मण्डल को किसी भी बोली को स्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार होगा। 6. उच्चतम बोली लगाने वाले बोली दाता को उच्चतम बोली का 5 प्रतिशत, जिसमें धरोहर राशि समायोजित करते हुये, नीलामी पश्चात उसी दिन सांय 6 बजे तक तथा 10 प्रतिशत राशि नीलामी के 72 घण्टे के अन्दर आवासीय अभियन्ता खण्ड अजमेर के कार्यालय में जमा करानी होगी। सभी राशियां बैंकर्स चैक/ डी.डी. के द्वारा जो राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर के नाम देय होगी, जमा करानी होगी। 7. आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिन की अवधि में लीजमनी व ए.एस.सी. चार्ज के साथ 85 प्रतिशत बकाया राशि जमा करानी होगी। उक्त तिथि के पश्चात जमा करवाने पर शास्ति एवं ब्याज नियमानुसार देय होगा। 8. लीज राशि 99 वर्ष के लिये आरक्षित दर पर प्रतिवर्ष वसूल की जायेगी। 9. ए.एस.सी. चार्ज 3 प्रतिशत सकल बोली राशि के अतिरिक्त देय होगा। 10. स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण की स्वीकृति के पश्चात ही भवन में तोड़-फोड़ की जा सकेगी एवं अन्य नियम अजमेर विकास प्राधिकरण भवन अधिनियम-2011 के अन्तर्गत होंगे। 11. नीलामी में बोली दाता के साथ एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जायेगा। 12. नीलामी के दौरान मोबाईल का प्रयोग निषेध है। 13. नीलामी बोली (1.00 लाख रूपये) के गुणक के रूप में ही स्वीकार की जायेगी। 14. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी। 15. नीलामी की अन्य शर्तें राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर, दूरभाष: 0145-2641894, मो. 99826 82717